संख्या-41/2021/494/18-2-2021-18-2099/261/2021

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में यूपिको द्वारा भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव भारत सरकार के पत्र संख्या- 20/3/2019-निर्भया दिनांक 21-5-2021 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुयी है जिसमें प्राविधानानुसार रू0 8,25,00,000/- बजट का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार ने 60 प्रतिशत अंश के सापेक्ष निर्गत धनराशि/सहायता अनुदान की प्रथम किस्त रू0 2,47,50,000/- की धनराशि निर्गत की है। राज्यांश के 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था रू0 3,30,00,000/- की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किया जाना है। अतः इस संबंध में लेखाशीर्षक '2851-102-06-01-वेतन मद' में हो रही बचतों से संदर्भगत योजनान्तर्गत व्यय हेतु रू0 330.00 लाख (रूपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 व समाज कल्याण अनुभाग(बजट प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि से सामूहिक प्रशिक्षण योजना में एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. की धनराशि से केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को आच्छादित किया जायेगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद मे ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी एवं जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सुदपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(7) धनराशि आहरित कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-औद्योगिक क्षेत्रो में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (के-60/रा-40) के 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के नामे डाला जायेगा तथा सुसंगत मदों में ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश ई-पत्रावली संख्या-18-2099/261/2021 में वित्त विभाग की प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-3/6
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भलीमंति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या-3 व नाम : -उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (15 डिजिटकोडमें) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदाने/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर लपउब्ध बचत	संक्रमित की जानेवाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2/5)
1	2	3	4	5	6
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 102- लघु उद्योग-06- जिला उद्योग केन्द्र 01- वेतन 2851-00-102-06-00-01	7662.78	4591.40	330.00	330.00	7332.78
योग	7662.78	4591.40	330.00	330.00	7332.78

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (15 डिजिटकोडमें) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-03- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के लेखाशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग के अन्तर्गत 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (के-60/रा-	0	330.00	330.00	330.00	330.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40/)- के 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश :- 8904-औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम					
योग	0	330.00	330.00	330.00	330.00

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्मिकों के काफी संख्यामें सेवानिवृत्त होने के कारण वास्तविक देयों के आधार पर व्यय होने के कारण बचत की संभावना है।

मांग का औचित्य- मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास कार्यक्रम के संबंध में यूपिको द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव में स्वीकृति प्राप्त हुयी है जिसमें प्राविधानानुसार रू0 8,25,00,000,.00 बजट का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार ने 60 प्रतिशत अंश के सापेक्ष निर्गत धनराशि/ सहायता अनुदान की प्रथम किस्त 0 2,25,50,00,000.00 उपयोक्त वर्णित लेखा शीर्षक के माध्यम से निर्गत की है। राज्यांश के 40 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था 0 3,30,00,000.00 की व्यवस्था पुर्नर्विनियोग के माध्यम से किया जाना है। अत: कार्यदायी संस्था यूपिको को उपलब्ध कराने हेतु 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 3.30 करोड़ की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंधन नहीं होता है

संख्या-494/18-2-2021-18-2099/261/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।

हस्ताक्षर:----------

नाम व पद नाम: ----पन्ना लाल, संयुक्त सचिव

प्रशासकीय विभाग -- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

हस्ताक्षर:----------

नाम व पद नाम: -- पन्ना लाल

प्रशासकीय विभाग -- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in